250/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियत्व जज	नम्बर व ता... अहकाम जो ... की तामील में
	25.03.2025 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। मुख्बाद के आदेशानुसार विपक्षी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही जारी की जाती है। तत्पश्चात् वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया। जिससे पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपने आप को यूनीयन की वारिस बताते उक्त विवादित भूमि पुश्तैनी का आधार लेकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बटवारे निषेधाज्ञा बाबत् अनुतोष चाहा गया है जो कि मुकदमे में साक्ष्य गवाहि के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण उसकी हकदार है अथवा नहीं। लेकिन इस्तगासा प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया जाने का कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिसके आधार पर स्थगन आदेश जारी किया जा सके। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आधारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली कैलाश कुमार बोहरा दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा